बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

संचिका संख्या–9 / विविध–14–13 / 2016–सा०प्र०–3295 / भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल **बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006** का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।– (i) यह नियमावली *"बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017"* कही जा सकेगी।

   (ii) यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या– 5046 दिनांक 11.04.2014 के प्रवृत होने की तिथि अर्थात दिनांक 11.04.2014 से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 7 के उप–नियम (5) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2006 के नियम–7 का उप–नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(5) प्राधिकृत बल का शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पद सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह 'घ' के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मियों से, वरीयता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे;

परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नही कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–9 / विविध–14–13 / 2016–सा०प्र०–3295 / पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–9 / विविध–14–13 / 2016–सा०प्र०–3295 / पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

संख्या–9/विविध–14–13/2016सा0प्र0 3295/अधिसूचना संख्या– 3295 दिनांक 20-3-17 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
20/3/2017
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
Notification

Patna, dated-20/3/ 2017

No.- 9/vividh-14-13/2016,GAD--3295--/ In exercise of the powers conferred by the proviso of the article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules for the amendment of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules 2006:-

1. Short title and commencement -(i) These Rules may be called "The Bihar Clerical Service (Amendment) Rules, 2017.
   (ii) It shall come into force from the date of Notification No-5046 dated 11.04.2014 issued by the General Administration Department that is from 11.04.2014.
2. Substitution of Sub rule (5) of rule 7 of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules, 2006 (as amended time to time):- Sub rule (5) of rule 7 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following provision:-

" (5) Remaining fifteen percent (15%) posts of authorised strength shall be filled by promotion on the basis of seniority from such Intermediate passed Group 'D' employees, working in the regular establishment of the Secretariat Departments and its attached offices by the concerned appointing authority.

Provided that such promoted Lower Division Clerk shall not be entitled to any subsequent increment, after the first increment, until they pass the Computer Competency Test and Hindi Noting and Drafting Examination. Their service on the post of Lower Division Clerk may be confirmed. only after passing the said examinations."

By the order of the Governor of Bihar,
20/3/2017
(Rajendra Ram)
Additional Secretary to the
Government.

Memo:- 9/vividh-14-13/2016,GAD--3295--/ Patna-15, Dated-20/3/17
Copy to Finance Department. Gazette cell, Bihar, Patna for publication in an

extraordinary issue of the Bihar Gazette.

Sd/- 20/3/2017

Additional Secretary to Government

Memo:- 9/vividh-14-13/2016,GAD---3295---/ Patna-15, Dated- 20/3/17

Copy to All departments/All head of departments/All divisional Commissioners/ All district Magistrates/Secretary Bihar Public Service Commission/Secretary, Bihar Staff Selection Commission for information and necessary action

Sd/- 20/3/2017

Additional Secretary to Government

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 1464 पटना / दिनांक:– 06-04-17

2 / उद्योग –विविध –23 / 2013

प्रतिलिपि:– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, तकनीकी विकास, / उप सचिव (क), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/-

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - उद्योग (Admn)-5/17 - 654 / पटना दिनांक 30/5/17

प्रति :- आई० टी० मैनेजर उद्योग विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ निदेश दिया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना स्तर से निर्गत अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट के Board file में upload कर दें।

Sd/- 29.05.17

अपर निदेशक (तक०)
बिहार, पटना

F:\Documents\Documents\Letter.Docx